सेण्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उ0प्र0
प्रथम तल, अपट्रॉन बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज,
गोमती नगर, लखनऊ–226010 (http://upite.gov.in/ceg/)

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

सेण्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उ0प्र0 का नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत ई–गवर्नेन्स योजनाओं के प्रबन्धन, स्टेट ई–मिशन टीम तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिये प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधीन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 07 मार्च, 2006 से सेंटर फॉर ई–गवर्नेन्स, उ0प्र0 कार्यरत है जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स से सम्बन्धित कार्यों/योजनाओं को सम्पादित करता है, जिसका नवीनीकरण अधिनियम संख्या–21, 1860 के अधीन दिनांक 07.03. 2016 से 05 वर्ष की अवधि दिनांक 06.03.2021 तक के लिये नवीकृत किया गया है। सी.ई.जी. द्वारा भारत सरकार की महत्वपूर्ण डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम तथा राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकताओं वाली ई–गवर्नेन्स की योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुये तथा इन्फॉर्मेशन कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी (आई.सी.टी.) का लाभ प्रदेश के समस्त नागरिकों तक पहुंचाना है।

उद्देश्य

1. सरकारी विभागों एवं निजी संस्थाओं के साथ ई–गवर्नेन्स के विकास के लिये कार्य करेगा।
2. सरकार की ई–गवर्नेन्स योजनाओं के लिये मिनी सचिवालय का कार्य करेगा।
3. सभी सरकारी विभागों को ई–गवर्नेन्स के विकास में सहायता प्रदान करेगा।
4. ई–गवर्नेन्स की पहल के लिये समस्त आधारभूत कार्य करेगा।
5. प्रौद्योगिकी के समस्त प्रदर्शन आदि तथा नई तकनीकी के परीक्षण के स्थल की भूमिका निभाएगा।
6. ई–गवर्नेन्स के कारगर प्रयोग के लिये एक नॉलिज बैंक की स्थापना करेगा जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी की सर्वोत्तम विधाओं को रखा जायेगा, जिनका अनुकरण किया जा सके।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 अनुसार कार्यालय के कर्मचारियों, संचालित योजनाओं से सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध /सूचना अभिलेख नियमानुसार प्राप्त किये जा सकते हैं।

निर्णय स्तर

विभाग	जन सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
सेण्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उ0प्र0	श्री संजय रैना पदः–प्रबन्धक/जन सूचना अधिकारी मोबाइल नम्बरः– 7705901001 ई–मेलः–manager2.ceg-up@gov.in	राज्य समन्वयक